## ग्राम पंचायत मुण्डदल, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू -172026 के लेखाओं का

## अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.20 से 31.03.22

**भाग- एक**

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुण्डदल, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-**

**प्रधान :-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री ज्ञान चन्द | 01-04-20 से 31-01-21 |
| 2 | श्री हेत राम | 01-02-21 से 31-03-22 |

**सचिव :-**

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री प्रेम चन्द | 01-04-20 से 31-05- 20 |
| 2 | श्री मस्त राम | 01-06-20 से 31-01-21 |
| 3 | श्रीमति रथी देवी | 01-02-21 से 31-05- 21 |
| 4 | श्री सतपाल | 01-06-21 से 30-11-21 |
| 5 | श्री शिव राम | 01-12-21 से 31-03-22 |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

| क्र0 सं0 | पैरा सं0 | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 (क) | अनुदान राशि का उपयोग न करना | 23.42 |
| 2 | 05 (ख) | अनुदान से व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | 25.35 |
| 3 | 06 | गृहकर की देय राशि की वसूली न करना | 0.79 |
| 4 | 07 | बिलों को पारित (Payment without pass order) किए बिना भुगतान करना | 12.96 |
| 5 | 08 | सेब के पौधे की खरीद पर अनियमित व्यय । | 02.88 |
| 6 | 10 | निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निर्माण कार्य के प्राक्कलन विवरण माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | 1.90 |
| 7 | 11 | क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना | 1.19 |
| 8 | 12 | रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर | 1.17 |
| 9 | 13 | मनरेगा निधि की माप पुस्तिका की गणना में त्रुटि होने के कारण अधिक भुगतान | 0.28 |
| 10 | 14 | भुगतान बिलों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | 0.27 |
| 11 | 15 | क्रय की गई निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइडस (Voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना | 0.13 |

**भाग- दो**

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत मुण्डदल, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.08.22 से 24.08.2022 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

| **वित्तीय वर्ष** | **आय** | **व्यय** |
|---|---|---|
| 2020-21 | 12/20 | 07/20 |
| 2021-22 | 07/21 | 07/21 |

**अस्वीकरण :-** इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व मात्र विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित होगा I

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत मुण्डदल, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2022-200 दिनांक 18.08.22 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त राशि को अति शीघ्र विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

**(i) स्व: स्त्रोत :-** ग्राम पंचायत मुण्डदल के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 411844.40 | 975742 | 1387586.40 | 818322.96 | 569263.40 |
| 2021-22 | 569263.40 | 2773715 | 3342978.40 | 1583888 | 1759090.40 |

**बैंक समाधान विवरणी :-**

दिनांक 31.03.22 को सामान्य निधि का अन्तशेष **1759090.40**

दिनांक 31.03.22 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

| क्रम संख्या | खाता संख्या | शाखा का नाम | 31.03.22 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20020005642 | कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी | 1606403.64 |
| 2 | 50100435323831 | एच डी एफ सी ,आनी | 199982.30 |
| 3 | 50065542470 | कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी | 52759.00 |
| 4 | 50064965452 | कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी | 6094.00 |
| 5 | 88270100093350 | ग्रामीण बैंक शवाड़ | 10463.96 |
| 4 | रोकड़ शेष | | 278.00 |
| | | **कुल योग** | **1875980.90** |

| | |
|---|---|
| (क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष | 1875980.90 |
| (ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष | 1759090.40 |
| अन्तर | 116890.50 |

**(ii) 14 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत मुण्डदल के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 454812.58 | 0 | 0 | 454812.58 | 351611.36 | 103201.22 |
| 2021-22 | 103201.22 | 0 | 0 | 103201.22 | 649 | 102552.22 |

**बैंक समाधान विवरणी :-**

| | | |
|---|---|---|
| (क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष | | 105577.22 |
| (ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष | 102552.22 | |
| **जमा रोकड़ बही :-** RTGS वापसी परंतु रोकड़ बही में दर्ज न करना | 3022.64 | |
| **जमा रोकड़ बही :- बैंक Charges** की कटौती परंतु रोकड़ बही में दर्ज न करना | 2.36 | 105577.22 |
| अन्तर | | **0** |

**(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत मुण्डदल के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

| वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 0 | 317313 | 4323 | 321636 | 0 | 321636 |
| 2021-22 | 321636 | 562238 | 22734 | 906608 | 0 | 906608 |

**बैंक समाधान विवरणी :-**

| | | |
|---|---|---|
| (क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष | | 1240406 |
| (ख) दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष | 906608 | |
| **जमा :-** ब्याज की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना | 7374 | |
| **जमा :-** दिनांक 23-04-21 को अनुदान की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना | 165203 | |
| **जमा :-** दिनांक 01-06-21 को अनुदान की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना | 161221 | 1240406 |
| अन्तर | | **0.00** |

(IV) एमजी नरेगा

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्ति | ब्याज | योग (कॉलम 2+3+4) | व्यय | अन्तशेष (कॉलम 5–6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–21 | 0 | 2259631.00 | 0 | 2259631.00 | 2259631.00 | 0 |
| 2021–22 | 0 | 6091550.00 | 0 | 6091550.00 | 6091550.00 | 0 |

5 **(क) अनुदान ₹23.42 लाख का उपयोग न करना :-**

सचिव ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.22 तक अनुदान ₹2341633.20 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ) (I)** में दिया गया है। जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### (ख) अनुदान से व्यय ₹25.35 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी व माहवार आय–व्यय विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.4.2020 से 31.3.2022 तक ₹25,35,320.00 अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है जिसका विवरण **परिशिष्ट (घ) (I)(II)** में दिया गया है।

अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं तथा भविष्य में भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के साथ–साथ कार्यालय स्तर पर भी अभिलेख/रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाये व प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

### (ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 31 की अवहेलना है।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

## 6 गृह कर की देय राशि ₹0.79 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 32 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार ₹79200 की वसूली नहीं की गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

### 7 बिलों को पारित (Payment without pass order) किए बिना ₹12.96 लाख का भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2020 से 3/2022 के दौरान बिलों को पारित किए बिना ही भुगतान किया गया था जिनमे से कुछ का विवरण नीचे दिया गया हैः–

| क्र॰स॰ | वर्ष | निधि का नाम | चयनित माह | चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | मनरेगा | 07/20 | 679842.00 |
| 2 | 2021-22 | मनरेगा | 07/21 | 616189.00 |
| | | | कुल | ₹1296031.00 |

वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-203 दिनाँक 20.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउतर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि केवल मस्ट्रोल पर दर्शाई राशि को सत्यापित किया गया है परंतु भुगतान आदेश नहीं लगाए गए थे जो कि आगामी अंकेक्षण में अनुवर्तन करके पारित कर दिये जाएंगे व भविष्य में नियमानुसार पारित कर भुगतान किया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों पर भुगतान आदेश पारित करने के उपरान्त ही बिलों की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

### 8 सेब के पौधे की खरीद पर ₹2.88 लाख का अनियमित व्यय ।

हि.प्र. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के अनुसार ग्राम पंचायत मुंडदल द्वारा ₹20000 सेब के पौधों की खरीद पर खर्च किए गए तथा स्वयं सहायता समूह /लाभार्थियों को वितरित किए गए थे । जबकि हि.प्र. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदर्श प्राक्कलन (Model Estimate) के अनुसार पौधारोपण पर अधिकतम ₹11000 खर्च किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार से ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा पौधारोपण पर निम्नानुसार ₹288000 का अधिक व्यय किया गया था जो कि अनुचित प्रतीत होता है ।

| क0 सं0 | बिल सं0/दिनांक | निधि का नाम | बिल का विवरण | वस्तु का विवरण | मात्रा | राशि | एम एम 1 बीघा योजना के मॉडल प्राकलन के अनुसार राशि | अधिक व्यय की गयी राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 2 | 31/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 3 | 32/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 4 | 33/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 5 | 34/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 6 | 35/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 7 | 36/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 8 | 37/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 9 | 38/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 10 | 40/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 11 | 41/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 12 | 42/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 43/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 14 | 44/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 15 | 45/12-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 16 | 164/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 17 | 165/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 18 | 172/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 19 | 175/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 20 | 176/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 21 | 181/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 22 | 182/13-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 23 | 137/10-04-21 | मनरेगा | टोडर नर्सरी ,रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 24 | 138/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 25 | 139/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 26 | 140/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 27 | 141/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | रोपा आनी | | | | | |
| 28 | 142/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 29 | 143/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 30 | 145/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 31 | 144/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| 32 | 146/10-04-21 | मनरेगा | खेम चंद नर्सरी, रोपा आनी | सेब के पौधे | 200 | 20000 | 11000 | 9000 |
| | | | | | | | | **288000** |

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 214 दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना मनरेगा योजना है जिसमे कि पुराना मॉडल प्राक्कलन के स्थान पर नया प्राक्कलन 60 :40 है तथा आगामी अंकेक्षण में पेश किया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

अत: नियमानुसार उपरोक्त सेब के पौधों की अधिक खरीद करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक खर्च की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर के संबन्धित निधि में जमा कर के अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

**9 फ़र्म द्वारा रेत, बजरी व पत्थर के ₹2.87 लाख के प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे ।**

ग्राम पंचायत मुंडदल के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से ₹287000 की रेत बजरी पत्थर का क्रय किया गया था ।

| क. सं. | आपूर्तिकर्ता | बिल संख्या/ दिनाँक | मद का नाम | मात्रा | भुगतान राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **MG NREGA** | | | | | |
| 1. | NKS transport Vill. Ghumui P.O. Poeg teh. Anni | 23/18-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 2. | -do- | 38/25-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | -do- | 25/19-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 4. | -do- | 22/17-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 5. | -do- | 40/22-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 6. | -do- | 41/28-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 7. | -do- | 29/21-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 8. | -do- | 34/22-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 9. | -do- | 36/23-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 10. | -do- | 31/29-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 11. | -do- | 42/29-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 12. | -do- | 28/22-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 13. | -do- | 26/18-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 14. | -do- | 20/16-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 15. | -do- | 24/18-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 16. | -do- | 33/22-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 17. | -do- | 35/22-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 18. | -do- | 21/17-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 19. | -do- | 30/21-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 20. | -do- | 13/02-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 21. | -do- | 39/25-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 22. | -do- | 37/23-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 23. | -do- | 32/22-07-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 24. | -do- | 02/22-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 25. | -do- | 97/12-06-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 |
| 26. | -do- | 96/11-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 27. | -do- | 94/10-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 28. | -do- | 95/10-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 29. | -do- | 05/27-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 30. | -do- | 19/16-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 31. | -do- | 15/11-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 32. | -do- | 06/29-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 33. | -do- | 14/08-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| 34. | -do- | 16/11-07-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 |
| **Total** | | | | | **287000** |

जबकि संबन्धित फ़र्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाकर गाड़ियों की संख्या के आधार पर बिल प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में यह ज्ञात करना कठिन है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेशर से कितनी मात्रा में सामग्री लायी गयी तथा कार्य स्थल पर कितनी मात्रा उपलब्ध करवाई जा रही है व स्टॉक रजिस्टर में भी गाड़ियों की संख्या के आधार पर प्रविष्टि दर्ज की जा रही है । नियमानुसार रेत, बजरी व पत्थर की मात्रा को प्रति फुट, प्रति घन मीटर व प्रति टन में दर्शाना अपेक्षित था ।

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 216 (B) दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में आपूर्तिकर्ताओं से बिल पर सामग्री की मात्रा प्रति फुट, प्रति घन मीटर व प्रति टन में दर्ज होने के पश्चात ही बिल को स्वीकार किया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा ।

अतः निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर के प्रस्तुत बिलों में सामग्री की मात्रा न दर्शाने के कारणों को स्पष्ट किया जाये व उपरोक्त अनियमित खर्च की गयी राशि की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**10. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ₹1.90 लाख के निर्माण कार्य के प्राक्कलन विवरण** (work estimate/abstract of cost), **माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत **₹**50,000 से अधिक है, को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा **₹**25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित है

व्यय की जाँच हेतु चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा बिना प्राक्कलन/अनुमानित प्राक्कलन, माप पुस्तिका/एम.बी में माप दर्ज न करना, तकनीकी स्वीकृति व निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल में कार्य समिति के अनुमोदन/सत्यापन के बिना ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया था।

| क0 सं0 | वाउचर सं0/माह | कार्य का विवरण | राशि | बिल संख्या | मद का नाम | अंकेक्षण आपत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य निधि | | | | | | |
| 1. | P/1 10-06-21 | मुरम्मत रोड देलठू से चलौहण | 30000 | 01/ 23-04-21 | एक्सकवेटर मशीन का प्रयोग | प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost) व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना |
| 2 | P/2 10-06-21 | मुरम्मत रोड बड़ी जान से दोघरी | 30000 | 03/ 01-05-21 | एक्सकवेटर मशीन का प्रयोग | प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost) व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना |
| 3 | P/3 10-06-21 | मुरम्मत रोड मैन रोड से धार | 30000 | 02/ 27-04-21 | एक्सकवेटर मशीन का प्रयोग | प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost) व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना |
| 4 | P/3 07-07-21 | निर्माण ट्रैक्टर रोड मैन रोड कोडीकूटल से कुटल | 100000 | 09/ 04-06-21 | एक्सकवेटर मशीन का प्रयोग | प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost) व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना |
| | | कुल योग | 190000 | | | |

उक्त कारणों से वर्क्स कार्यों की एवज में किये गये भुगतान ₹190000 को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 215 दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अतः बिना पूर्ण औपचारिकताओं के निर्माण/विकास कार्यों को निष्पादित करने के सन्दर्भ में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं अभिलेख को

अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात् ही निर्माण कार्य को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**11 क्रय की गई सामग्री ₹01.19 लाख की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामगी की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टी की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक/सामग्री (Goods/stores have been received in good condition) को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है।

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹118902 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था ।

| क्रम सं. | वा.सं./माह | विवरण | बिल सं./तिथि | मद का नाम | मात्रा | राशि | अंकेक्षण आपत्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **General Head** | | | | | | | |
| 1 | 21/ 11-07-20 | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर, शवाड़ | 3510/17-03-20 | हार्डवेयर सामग्री | 12 मद | 3500 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 2 | 24/ 11-07-20 | मेसर्ज चौहान कंक्रीट वर्क्स बिथल | CC-P1/014/2021/ 15-06-21 | टाइल्स | 1500 pcs | 41250 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 3 | 26/ 11-07-20 | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर, शवाड़ | 3509/16-03-20 | सरिया | 484 KG | 24702 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 4 | 27/ 11-07-20 | चौहान फ़र्निचर इंडस्ट्रीज़ | 1211/15-06-20 | ASH ब्रिक्स | 200 pcs | 9400 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 5 | 27/ 11-07-20 | चौहान फ़र्निचर इंडस्ट्रीज़ | 1408/23-06-20 | ASH ब्रिक्स | 150 pcs | 7050 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| **MGNREGA** | | | | | | | |
| 6 | शून्य | एन के एस ट्रांसपोर्ट | 94/10-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 7 | शून्य | एन के एस ट्रांसपोर्ट | 95/10-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 8 | शून्य | एन के एस ट्रांसपोर्ट | 96/11-06-21 | रेत | 1 टिप्पर | 8000 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| 9 | शून्य | एन के एस ट्रांसपोर्ट | 97/12-06-21 | बजरी | 1 टिप्पर | 9000 | स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई |
| **Total** | | | | | | **118902** | |

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-216 दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भण्डार रजिस्टर में जिस सामग्री का इन्द्राज नहीं किया गया है उसे रजिस्टर में इन्द्राज कर दिया जाएगा तथा भविष्य में त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है की स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

## 12. रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹1.17 लाख का अन्तर

ग्राम पंचायत मुण्डदल की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹116890.50 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 (i) में दिया गया है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| | |
|---|---|
| **(क)** दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष | **1875980.90** |
| **(ख)** दिनांक 31.03.22 को वितीय/रोकड़ वही अनुसार अंतशेष | **1759090.40** |
| **अन्तर** | **116890.50** |

## 13. मनरेगा निधि की माप पुस्तिका की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत मुंडदल विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01-04-20 से 31-03-22 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि की माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिकाओं के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹27771** की मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया था जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है।

| क्र० स० | मस्ट्रोल संख्या/ दिनांक | कार्य का नाम | एम बी संख्या | एम बी पृष्ट संख्या | मस्ट्रोल के अनुसार भुगतान की गयी राशि | एम बी के अनुसार भुगतान राशि | अंकेक्षण के अनुसार भुगतान राशि | अधिक भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003/ 08-06-20 | भूमि सुधार देवी सिंह चिमनी | 15913 | 15 | 27720 | 27720 | 23184 | 4536 |
| 2 | 1004/ 08-06-20 | भूमि सुधार भूपेन्द्र शवाड | 15913 | 16 | 27720 | 27720 | 23184 | 4536 |
| 3 | 1005/ 08-06-20 | भूमि सुधार नियामी राम चैहडी | 15913 | 16 | 27720 | 27720 | 23184 | 4536 |
| 4 | 1010/ 08-06-20 | पक्का फ्लोर यूरिन टैंक मानदासी शेहुल | 15913 | 19 | 11088 | 8400 | 8400 | 2688 |
| 5 | 1019/ 08-06-20 | भूमि सुधार किसन चंद शेहुल | 15913 | 23 | 27720 | 27720 | 23184 | 4536 |
| 6 | 1022/ 08-06-20 | छत बर्षा जल संरक्षण टैंक रक्षा देवी कटाहर | 15913 | 25 | 16632 | 16632 | 14229 | 2403 |
| 7 | 1026/ 08-06-20 | भूमि सुधार ख्याल चंद शेहुल | 15913 | 26 | 27720 | 27720 | 23184 | 4536 |
| | | कुल योग | | | | | | **27771** |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-212 दिनाँक 23.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि माप पुस्तिकाओं के जोड़ों में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान को संबन्धित कर्मचारी से वसूली कर दी जाएगी ।

अतः उक्त अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 14. क्रय सामग्री राशि ₹0.27 लाख के बिलों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत मुण्डदल के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर तथा रोकड़ बही की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार क्रय किए गए सीमेन्ट व DSC से सम्बन्धित ₹26914 के बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किए गए जो कि गम्भीर अनियमितता है ।

| क्रम संख्या | वाउचर संख्या /दिनांक | माह | निधि का नाम | बिल का विवरण | वस्तु का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 /11-07-22 | 07-20 | सामान्य | HP State civil supplies corp. | Cement 80 bags | 26560 |
| 2 | 27-1/28-07-22 | 07-20 | सामान्य | Computer care and solution | DSC 1 | 354 |
| | | | | | कुल | **26914** |

रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेन्ट व DSC की खरीद हेतु भुगतान तो कर दिया गया है लेकिन स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से प्राप्त बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था। वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 216 (A) दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ।

अतः उक्त खरीद से सम्बन्धित सभी बिलों को सम्बन्धित फर्म से प्राप्त कर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

## 15. क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइडस (Voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइडस (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जबकि

नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5% बजरी की आपूर्ति पर 10 एमएम से लेकर 20एमएम तक 5% तथा 20एमएम से लकर 40एमएम तक 10% और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से वाइडस (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹12750 का अधिक भुगतान किया गया था।

| क्र. सं. | आपूर्तिकर्ता | बिल संख्या/ दिनाँक | मद का नाम | भुगतान राशि (₹) | मात्रा | मात्रा | वाइड्स (Voids) कटौती की दर | वाइड्स (Voids) की मात्रा जिसका भुगतान किया गया | दर (प्रति क्यूबीक मीटर) | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **(cft)** | **(cum)** | | | | |
| **MG NREGA** | | | | | | | | | | |
| 1. | NKS transport Vill. Ghumui P.O. Poeg the. Anni | 23/ 18-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 2. | -do- | 38/ 25-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 3. | -do- | 25/ 19-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 4. | -do- | 22/ 17-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 5. | -do- | 40/ 22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 6. | -do- | 41/ 28-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 7. | -do- | 29/ 21-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 8. | -do- | 34/ 22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 9. | -do- | 36/ 23-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 10. | -do- | 31/ | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29-07-21 | | | | | | | | |
| 11. | -do- | 42/ 29-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 12. | -do- | 28/ 22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 13. | -do- | 26/ 18-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 14. | -do- | 20/ 16-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 15. | -do- | 24/ 18-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 16. | -do- | 33/ 22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 17. | -do- | 35/ 22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 18. | -do- | 21/ 17-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 19. | -do- | 30/ 21-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 20. | -do- | 13/ 02-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 21. | -do- | 39/ 25-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 22. | -do- | 37/ 23-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 23. | -do- | 32/ 22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 24. | -do- | 02/ 22-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 25. | -do- | 97/ 12-06-21 | बजरी | 9000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 26. | -do- | 96/ 11-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 27. | -do- | 94/ 10-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 28. | -do- | 95/ 10-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 29. | -do- | 05/ 27-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | -do- | 19/ 16-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 31. | -do- | 15/ 11-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 32. | -do- | 06/ 29-06-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 33. | -do- | 14/ 08-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| 34. | -do- | 16/ 11-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 4.245 | 5% | 0.212 | 1765.736 | **375** |
| **Total** | | | | | | | | | | **12750** |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 206 दिनाँक 22.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं से वाइडस (VOIDS) की कटौती नहीं की गई थी जिसकी वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करके पंचायत निधि में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः वाइडस (Voids) की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

## 16. कोटेशन पर अंकित राशि से ₹4600 की राशि का अधिक भुगतान करना ।

ग्राम पंचायत मुण्डदल के अवधि 4/20 से 3/22 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचर की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार एन के एस ट्रांसपोर्ट को पत्थर ढुलान का कार्य आबंटित किया गया था। आमन्त्रित निविदा में प्रति चक्कर पत्थर ढुलान का मुल्य ₹800 दर्शाया गया था जबकि भुगतान ₹1000 प्रति चक्कर के हिसाब से किया गया था। इस प्रकार पंचायत द्वारा एन के एस ट्रांसपोर्ट को ₹4600 का अधिक भुगतान किया गया है जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-204 दिनाँक 22.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निविदा पर अंकित राशि से अधिक भुगतान की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करके पंचायत निधि में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त अनियमितता के मध्यनजर यह स्पष्ट करें कि कुटेशन में अकिंत राशि के आधार पर भुगतान क्यों नहीं किया गया। इस अनियमित

भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए ।

| बिल संख्या व दिनांक | फर्म का नाम | कोटेशन पर अंकित राशि | बिल पर अंकित राशि | कुल चक्कर | भुगतान की गई राशि | अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/09-06-21 | NKS Transport Ghumui | पत्थर ढुलान ₹800 प्रति चक्कर | पत्थर ढुलान ₹1000 प्रति चक्कर | 23 | 23000 | ₹ 4600 |

**17. स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹4337 की वसूली न करना**

सचिव ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान **₹4337** की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-207 दिनाँक 22.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान ठेकेदारों से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी जिसकी वसूली संबन्धित ठेकेदारों से कर के संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। अत: स्त्रोत पर कर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो व व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | फर्म /व्यक्ति का नाम | भुगतान की गई राशि | स्त्रोत पर देय आयकर की राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | श्री रफ्तार सिंह ठाकुर ( सरकारी ठेकेदार ) | 47300 | 355 (0.75%) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |
| 2 | 2021-22 | श्री रफ्तार सिंह ठाकुर ( सरकारी ठेकेदार ) | 24200 | 182 (0.75%) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2021-22 | M/S संजीव अर्थमूवर्स ( सरकारी ठेकेदार ) | 30000 | 600 (2 %) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |
| 4 | 2021-22 | M/S संजीव अर्थमूवर्स ( सरकारी ठेकेदार ) | 30000 | 600 (2 %) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |
| 5 | 2021-22 | M/S संजीव अर्थमूवर्स ( सरकारी ठेकेदार ) | 30000 | 600 (2 %) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |
| 6 | 2021-22 | M/S संजीव अर्थमूवर्स ( सरकारी ठेकेदार ) | 100000 | 2000 (2 %) | एक्सकावेटर (JCB) मशीन का प्रयोग |
| **कुल योग** | | | **396800** | **₹ 4337** | |

18. आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण **₹**4176 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था **जिसमे** ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से रायल्टी की कटौती की गई थी परंतु **नियमानुसार कम की गयी थी।** जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को **₹**4176 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

| क. सं. | आपूर्तिकर्ता | **बिल संख्या/** दिनाँक | मद का नाम | भुगतान राशि | मात्रा **(cft)** | रॉयल्टी का भुगतान | रॉयल्टी की **वास्तविक राशि** | **कम** भुगतान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **General** | | | | | | | | |
| 1. | NKS transport Vill. Ghumui P.O. Poeg the. Anni | 23/18-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 2. | -do- | 38/25-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 3. | -do- | 25/19-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 4. | -do- | 22/17-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 5. | -do- | 40/22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 6. | -do- | 41/28-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 7. | -do- | 29/21-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | -do- | 34/22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 9. | -do- | 36/23-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 10. | -do- | 31/29-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 11. | -do- | 42/29-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 12. | -do- | 28/22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 13. | -do- | 26/18-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 14. | -do- | 20/16-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 15. | -do- | 24/18-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 16. | -do- | 33/22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 17. | -do- | 35/22-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 18. | -do- | 21/17-07-21 | रेत | 8000 | 150 | 240 | 408 | **168** |
| 19. | -do- | 30/21-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 20. | -do- | 13/02-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 21. | -do- | 39/25-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 22. | -do- | 37/23-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 23. | -do- | 32/22-07-21 | बजरी | 9000 | 150 | 240 | 372 | **132** |
| 24. | -do- | 14/08-07-21 | रेत | 8000 | 150 | nil | 408 | **408** |
| 25. | -do- | 16/11-07-21 | रेत | 8000 | 150 | nil | 408 | **408** |
| | | | | | | **Total** | **4176** | |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 205 दिनाँक 22.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं से एम फॉर्म /अनापति प्रमाण पत्र लिए गए थे परंतु कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एम फॉर्म /अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिये गए जिसने रॉयल्टी की वसूली कर के संबन्धित विभाग में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/फर्म से रॉयल्टी के रूप में कम राशि की कटौती करने का कारण स्पष्ट किया जाएं अन्यथा अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 19. लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग ) के रूप में ₹1860 का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत मुण्डदल विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र ०) की अवधि 01-04-20 से 31-03-22 के अंकेक्षण के दौरान भुगतान बिलों की जांच में पाया गया कि मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर

स्टोर शवाड  से चादरों (GI Sheet) का क्रय किया गया था जिसमे फ़र्म द्वारा प्रस्तुत बिल में लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग ) को जोड़ा गया था जबकि आमंत्रित कोटेशन में उक्त फ़र्म द्वारा लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग ) का दावा नहीं किया गया था जिसके कारण मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर शवाड लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग )के रूप में ₹1860 का निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया ।

| क0सं0 | बिल सं0/दिनांक | निधि का नाम | बिल का विवरण | वस्तु का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4740/13-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 2 | 4741/13-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 3 | 4742/13-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 4 | 4743/13-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 5 | 4744/14-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 6 | 4745/14-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 7 | 4746/15-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 8 | 4747/15-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 9 | 4748/15-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 10 | 4749/16-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 11 | 4750/16-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 12 | 4751/16-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 13 | 4752/16-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 14 | 4755/17-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर , शवाड़ | GI Sheets | 150 |
| 15 | 4756/17-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 280 |
| 16 | 4757/17-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 280 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4753/17-07-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | GI Sheets | 70 |
| 18 | 4883/26-08-21 | मनरेगा | मेसर्ज शर्मा हार्डवेयर स्टोर ,शवाड़ | Steel | 170 |
| | | | | | ₹1860.00 |

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 216(C) दिनाँक 24.08.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निविदा पर लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग) की राशि अंकित नहीं की गई थी । अतः अधिक भुगतान की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करके पंचायत निधि में जमा कर दिया व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा ।

अत: तथ्यपूर्ण लेबर चार्जेस ( लोडिंग – अनलोडिंग) के रूप में किए गए अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

20 **विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹1400 की कम वसूली करना**

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है। ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.20 से 31.03.2022 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1400 की कम वसूली की गई थी।

| Sr.No. | Register sr.no | Name of applicant | Date of Marriage | Date of registration | Due Amount | Amount Collected | Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | 11 | Sh. Lal Chand | 13-04-20 | 26-05-20 | 400 | 200 | 200 |
| **02** | 12 | Sh. Manjeet Kumar | 10-02-21 | 27-02-20 | 200 | 0 | 200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | 12 | Sh. Rahul Thakur | 24-05-21 | 28-05-21 | 200 | 0 | 200 |
| **04** | 14 | Sh. Tanuj Sharma | 08-07-21 | 07-09-21 | 400 | 0 | 400 |
| **05** | 16 | Sh. Jeet Kumar | 12-10-21 | 12-11-21 | 200 | 0 | 200 |
| **06** | 17 | Sh. Sanjeev kumar | 12-12-21 | 31-12-21 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | | कुल | **₹1400** |

सचिव ग्राम पंचायत मुण्डदल को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD-2022-201 दिनाँक 18-08-22 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर सचिव द्वारा सूचित किया गया कि कुछ आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क कम लिया गया था जिसकी वसूली संबन्धित आवेदनकर्ता से शीघ्र कर दी जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जाएगा।

अत : अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**21. निविदाओं को पूल (Pool) करने बारे**

निम्न लिखित बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर तीनों फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :

वा.सं. 27 माह 11/07/20 मै० चौहान फ़र्निचर इंडस्ट्रीज़ , कुमारसैन =16450 /-

1. मै० चौहान फ़र्निचर इंडस्ट्रीज़ , कुमारसैन :- **01782-221909** **94593-50791**
2. मै० चौहान टिम्बर हाउस , कुमारसैन :- **01782-221909** **94593-50791** **78077-73000**
3. मै० राजस्थान मार्बल , बिथल :- **01782-221909** **94593-50791** **78077-73000**

उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर तीनों फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया था जिसकी जाँच क्रय

कमेटी द्वारा नहीं की गई I अंकेक्षण को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक फर्म को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया I जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका,जोकि अनुचित था जिसके कारण भुगतान की गई दरों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी ।

अत: उक्त अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फर्म को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नही दिया गया है तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

**22. नियमानुसार निवेश न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके I

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था I जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है I इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

23 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) परिसम्पति रजिस्टर (B-8)

ग्राम पंचायत मुंडदल द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**24. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप “4” के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे ।

ग्राम पंचायत मुण्डदल द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 **बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था ।

जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/

अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

## 26 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| क्र | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेश रजिस्टर | 1 | 12 |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है। | —— | 103 |
| 4 | मासिक बैंक समाधान विवरणी | —— | 15(1) |
| 5 | वर्गीकृत सार | 8 | 29(4) |
| 6 | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 7 | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 8 | डाक टिकट रजिस्टर | 24 | 61(2) |
| 9 | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है। | 25 व 26 | 72(1) (ए व बी) |
| 10 | स्टेशनरी रजिस्टर | 28 | 72(1) (सी व डी) |
| 11 | निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर | 31 | 95(1) |
| 12 | रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर | ——————— | 31 |
| 13 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 14 | सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997 | 8 | 34 |
| 15 | रॉयलटी/जीएसटी/टीडीएस/सेवाकर रजिस्टर | ——————— | 31 |

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 27. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28. **लघु आपति विवरणिका:-**यह् अलग से जारी नहीं की गई है।

29. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (3)64/2018 खण्ड—1 46—49 दिनांक 03.01.23 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मुण्डदल, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009